न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2015 धारा 6ए

सरकार जरिये रवि जाधव ,
प्रवर्तन अधिकारी, माण्डल

बनाम

1. श्री बंशीलाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार करेड़ा
2. श्री भगवान लाल पुत्र श्री घीसूलाल तेली निवासी करेडा

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –
विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
विपक्षीगण – एक तरफा कार्यवाही के आदेश

निर्णय

दिनांक 19/12/2016

प्रकरण की संक्षिप्त में कहानी इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 22.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के निर्देशानुसार हम तीनों अधिकारी क्रमशः रवि जाधव , प्रवर्तन अधिकारी माण्डल, अमरेन्द्र कुमार मिश्र , प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा एवं श्री भागीरथमल मीणा , प्रवर्तन निरीक्षक वास्ते जांच मौका स्थल वाके कस्बा करेडा पर दिनांक 02.09.2015 को 12.45 पी.एम. पर पहूंचे । मौके पर श्री शंकरलाल एच. सी. नम्बर 492 पुलिस थाना करेडा उपस्थित मिले । जिन्होनें बताया कि मौका स्थल स्थित मकान श्री भगवान लाल पिता घीसू लाल तेली निवासी करेडा का है । मौके पर मकान के एक कमरे में 41 कटटे गेहूं के जो प्रति कटटा 50 किलो के हिसाब से 2050 किलो गेहूं पाया गया । मौके पर उपस्थित लोगो ने गेहूं कहां से आया ?, किसका है ?, इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। मौके पर उपस्थित सचिन्द्र मोहन शर्मा , कान्सेटबल नम्बर 819 थाना करेडा ने बताया कि आज दिनांक 2.9.2015 को करीब 8.00ए.एम. पर थानाधिकारी करेडा को मोबाईल पर अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि बंशीलाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार का गेहूं टैम्पो से भगवान लाल पिता घीसू लाल तेली निवासी करेडा के मकान में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

कालाबाजारी के नियत से खाली हो रहा है। मौके पर टैम्पो व टैम्पो चालक उपलब्ध नही मिला । इस पर श्री बंशीलाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार का निरीक्षण हेतु मौके पर पहूंचे । मौके पर उचित मूल्य दुकानदार श्री बंशीलाल उपस्थित नही मिला । उसका पुत्र नवरतन खटीक उपस्थित मिला । मौके पर फर्द निरीक्षण तैयार किया गया। उचित मूल्य दुकान सेन्टर करेडा के केरोसिन , चीनी, स्टेट बी.पी.एल., बी.पी.एल., खाद्य सुरक्षा योजना के माह फरवरी 2015 से जारी स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किये ,जो संधारित नही पाये गये । गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर दो गोदामों में 145 कटटे गेहूं पाये गये । प्रति कटटा 50 किलो वजनी से 72.50 क्विंटल गेहूं उपलब्ध मिला । चीनी एवं केरोसिन का स्टॉक शून्य पाया गया । दूकान के बाहर नाम , पता , मूल्य स्टॉक सूची बोर्ड के प्रदर्शन नही पाये गये।

मौके पर डीलर श्री बंशीलाल खटीक उपस्थित नही मिले । उनके पुत्र नवरतन द्वारा सभी योजनाओं के वितरण रजिस्टर व बिल प्रस्तुत नही किये । डीलर के दोनों गोदामों को सील चस्पा किया गया । दिनांक 9.9.2015 को 2.50 पी.एम. पर जांच दल उचित मूल्य दुकान सेन्टर करेडा पर पहूंचा । उपस्थित लोगों के समक्ष दोनों गोदामों के ताले खोले गये । गोदाम में कुल 145 कटटे गेहूं के मिले । सभी कटटों पर एफसीआई मार्का व मशीन सिलाई पायी गयी । केवीएसएस माण्डल ने समिति के चालान नं. 3377 दिनांक 31.7.2015 से राशन डीलर करेडा श्री बंशीलाल खटीक को माह सितम्बर 2015 के लिये 180 कटटे वजनी 91.90 क्विंटल गेहूं जरिये ट्रक नम्बर आर.जे.20 जीए 1451 से आपूर्ति की । उपरोक्त चालान पर राशन डीलर बंशीलाल के हस्ताक्षर है । राशन डीलर ने बताया कि वास्तव में दिनांक 31.8.2015 को चालान नं. 3377 से उक्त गेहूं केवीएसएस माण्डल से प्राप्त किया था । जिसमें से राशन डीलर के पुत्र नवरतन खटीक ने दिनांक 2.9.2015 को प्रातः 8 बजे के आस पास टैम्पों से भगवान लाल तेली के मकान मे भण्डारण के लिये गेहूं रवाना किया । जिसे मौके पर लोगों ने रोककर पुलिस प्रशासन को सूचना दी । मकान मालिक श्री भगवान लाल तेली से 500 रूपये किरोय पर दिनांक 20.8.2015 को भण्डारण के लिये एक कमरा किराये पर लिया था । किराये की मूल चिटठी भी प्रस्तुत की गयी , जिसमें पडौस का उल्लेख नही है । इससे यह स्पष्ट है कि राशन डीलर बंशीलाल खटीक ने बदनीयती से गेहूं के दुरूपयोग करने की गरज से भगवान लाल तेली के मकान मे अतिरिक्त भण्डारण के बहाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन की बिना सहमति व बिना लिखित सहमति राशन का सामान खाली करवाया । इस प्रकार राशन डीलर द्वारा अघोषित गोदाम में राशन के गेहूं का भण्डारण करवाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है । वजह सिबूत डीलर के मूल गोदाम एवं घोषित गोदाम से सील चिट हटाने के बाद डीलर के कब्जे से 145 + 41 कुल 186 कटटे वजनी 93. 00 क्विटंल जब्त सरकार किया जाकर पडौस के राशन डीलर श्री राम नारायण खटीक सेन्टर करेडा को संभलाया गया ।

प्रकरण में मकान मालिक भगवान लाल तेली द्वारा डीलर श्री बंशीलाल खटीक के कालाबाजारी के प्रयास में उसका सहयोग किया गया है , जिससे भगवान लाल भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है । मौके पर डीलर द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्टॉक पंजीकाओं का संधारण करना नही पाया गया । स्टॉक रजिस्टर के अनुसार डीलर के पास 18 किलो गेहूं अन्त्योदय का शेष स्टॉक दर्शाया गया । इस प्रकार डीलर के पास 91.90 + 18.00 कुल 92.08 क्विंटल गेहूं उपलब्ध होना चाहिये , जबकि डीलर के कब्जे में 93.00 – 92.08 शेष 92 किलो गेहूं स्टॉक में अधिक पाया गया । इसके अतिरिक्त भी डीलर के एनएफएसए वितरण रजिस्टर अगस्त 2015 में कम सं. 268 पर राशन कार्ड सं. 11150 प्रभू / भागू को 30 किलो गेहूं देना दर्शाया । कम सं. 362 राशन कार्ड सं. 001514118 मनोहर सिंह को 20 किलो गेहूं , नारायण सिंह/ अमरसिंह को 5 किलो गेहूं , छोगा लाल/ लच्छू को 20 किलो गेहूं , रहीम / गुलाम को 25 किलो गेहूं वितरण दर्शाया । वितरण रजिस्टर में प्राप्तकर्ता के रूप में हस्ताक्षर नही है । लगभग 100 किलो गेहूं का वितरण गलत दर्शाया ।

अतः विपक्षी बंशीलाल उचित मूल्य दुकानदार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम 1976 के खण्ड 6 एवं प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1 , 5 , 8 ,11 , 17(सी) का उल्लघंन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है । साथ ही गेहूं का अवैध भण्डारण स्थल के मालिक भगवान लाल तेली निवासी करेडा द्वारा भी विहित अधिनियम की धारा 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध करना पाया गया । ऐसी स्थिति में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

93.00 क्विंटल गेहूं जो जब्त सरकार किये,उन्हें राजसात करने के आदेश प्रदान करावें साथ ही यह भी अनुरोध किया कि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगने की संभावना है जिससे जब्त किये गये गेहूं का अन्तरिम निस्तारण कराया जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2015 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया । विपक्षीगण बावजूद सूचना के न्यायालय के समक्ष दिनांक 4.2.2016 को अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

प्रकरण मे दिनांक 15.12.2016 को प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी ।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम प्रार्थी ने अपने आवेदन में जब्त किये गये गेहूं का अन्तरिम निस्तारण चाहा गया, किन्तु प्रकरण में इस विषय पर कोई आदेश पारित नही किया गया । जिससे अब पत्रावली मे गुणावगुणों पर विचार करते हुये अन्तिम विनिश्चय किया जा रहा है ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से यह तथ्य सुस्थापित है , विपक्षी श्री बंशीलाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार करेडा ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के राशन के 2050 किलो गेहूं ग्राम करेडा में ही उचित मूल्य दुकान के लिये स्वीकृत गोदामों के अतिरिक्त अन्य स्थान श्री भगवान लाल पिता घीसू लाल तेली निवासी करेडा के मकान पर अवैध तरीके से कालाबाजारी की गरज से भण्डारण किया जाना स्पष्ट है । यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का खण्डन विपक्षीगण की ओर से किसी प्रकार नही किया गया । जिससे यह परिकल्पना की जाती है कि प्रार्थी ने अपने आवेदन में विपक्षीगण द्वारा विधि विरूद्व राशन के गेहूं को कालाबाजारी की गरज से स्वीकृत गोदाम के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत मकान मे भण्डारण किया । इसके साथ साथ स्वीकृत गोदामों में भी 72.50 क्विटंल गेहूं संधारित स्टॉक पंजीकाओं के अनुरूप नही होने से कुल 93.00 क्विटंल जब्त सरकार किये जाकर अन्य राशन डीलर श्री रामनारायण खटीक सेन्टर करेडा के सिपुर्द किया गया । इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध दस्तोजी साक्ष्य से यह सिद्व है कि विपक्षी उचित मूल्य दुकानदार डीलर श्री बंशीलाल खटीक निवासी करेडा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) विनियमन 1976 का स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया है ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी श्री बंशीलाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार करेडा द्वारा राशन के गेहूं 93.00 क्विटंल जो दिनांक 09.09.2015 को जब्त सरकार किये जाकर राशन डीलर श्री रामनारायण खटीक सेन्टर करेडा को सिपूर्द किया गया है, राजसात करने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी भीलवाडा राजसात किये गये 93.00 क्विटंल गेहूं को सिपूर्दगीदार रामनारायण खटीक से प्राप्त कर विधि के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत डीलर के माध्यम से इनका निस्तारण करा प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की सुनिश्चितता करें । आदेश की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को भेजी जावे । निर्णय आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/16

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा